

आज दिनांक 11.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

जान से मारने के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक को0 खलीलाबाद श्री सर्वेश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 225/23 धारा 308, 323, 147, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण नाम पता साहुल कुमार पुत्र रामशुभग 2- अनुज पुत्र दिनेश कुमार निवासीगण बड़ी सरौली थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11.03.2023 को अभियुक्तगण द्वारा वादी रामानन्द पुत्र इन्द्रजीत निवासी पड़ोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर के साथ मधुकुंज तिराहे के पास मारपीट की घटना कारित की गयी थी। इस सूचना पर थाना को0 खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी थी। त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.03.2023 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री कृष्णमोहन राव, का0 अरविन्द तिवारी, का0 आशीष गौड़।

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 08 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 08 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता मनीष सिंह पुत्र शर्मानन्द उर्फ शर्मा सिंह निवासी थवईपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 कृष्णप्रताप सिंह, का0 सूरज कुमार साव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 07 नफर वारण्टी अभियुक्तगण नाम पता 1- रुपनरायन पुत्र विश्वनाथ निवासी अशरफपुर 2- पवन कुमार पुत्र रामदरश निवासी हैसर बाजार 3- लक्ष्मन पुत्र प्रभु निवासी तुरकौलिया नायक 4- पूजन पुत्र सितहू निवासी तुरकौलिया नायक 5- रामअचल पुत्र कमला यादव निवासी सोनडीह 6- पारसनाथ सिंह पुत्र जगेश्वर सिंह निवासी फुलुई 7-दुलारे केवट पुत्र फिरंगी निवासी फुलुई 8- राजदेव पुत्र सलगी निवासी हडियामाफी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, उ0नि0 श्री रामआसरे यादव, उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 अमित मद्धेशिया, हे0का0 सुदामा प्रसाद, हे0का0 ध्रुवनरायन यादव, का0 अनूप कुमार ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा दो पक्षों के विवाद/मारपीट को कराया गया शांत, मारपीट में घायल 02 महिलाओं को पहुँचाया गया अस्पताल— पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत बन्धुपुर से इवेन्ट संख्या 12770 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत विवाद को शांत कराया गया व मारपीट में घायल 1-मीना पुत्री रामराज 2- राधा पत्नी मुन्ना निवासीगण बन्धुपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 कर्मवीर सिंह, आ0 वीरेन्द्र प्रसाद, हो0चा0 श्रीनिवास साहनी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनो से 38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 11.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनो से 38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।